

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) निदेशक मण्डल की पंचम बैठक दिनांक 21.02.2024 का कार्यवृत्त ।

पत्रांक 126 / प्र-1 / 007-नि०म०बै०-004 / 2024

दिनांक 28-02-2024

उपस्थिति :-

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. डा० बलकार सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. श्री अरुण कुमार, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. श्री राजेश कुमार प्रजापति, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री बृजराज सिंह यादव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
6. श्री शांतनु व्यास, (अधिकृत प्रतिनिधि) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
7. श्री शहजाद अहमद अंसारी, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
8. श्री राज कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
9. श्री सन्दीप सिंह (अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10. डा० मुकेश मातान्हेलिया (अधिकृत प्रतिनिधि) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ
11. श्रीमती विजेता, उप निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12. श्री सन्दीप कुमार, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं मा० अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये :-

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
05.01	मा०निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा चतुर्थ बैठक दिनांक 16.05.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त बुक(रजिस्टर)में चस्पा कर मा० अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करा लिया गया है ।
05.02	मा०निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की चतुर्थ बैठक के अनुपालन की स्थिति।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा चतुर्थ बैठक दिनांक 16.05.2023 को लिये गये निर्णयों के अनुपालन को सज्ञान में लिया गया है ।
05.03	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क,ख,ग, एवं घ के अधिकारियों /कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क, ख,ग, एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
05.04	श्री राधा कृष्ण त्रिपाठी वरिष्ठ मीडिया सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० को उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन में चल रही गतिविधियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों की सूचना मीडिया एवं सोशल मीडिया में सुचारु एवं सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने व	श्री राधा कृष्ण त्रिपाठी वरिष्ठ मीडिया सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० को उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन में चल रही गतिविधियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों की सूचना मीडिया एवं सोशल मीडिया में सुचारु एवं सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने व व्यापक प्रचार प्रसार किये

26/2/24

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु 01 वर्ष(दिनांक 30.11.2024 तक) मीडिया सलाहकार के रूप में उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) में नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	जाने हेतु 01 वर्ष(दिनांक 30.11.2024 तक) मीडिया सलाहकार के रूप में उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) में नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
05.05	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत जल जीवन मिशन एवं ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के प्रकल्प विरचन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण के कार्यों के निष्पादन हेतु सिविल तथा वि०/या० संवर्ग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व जूनियर इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत जल जीवन मिशन एवं ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के प्रकल्प विरचन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण के कार्यों के निष्पादन हेतु सिविल तथा वि०/या० संवर्ग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व जूनियर इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
05.06	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय लखनऊ के कार्यालय परिसर में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० कार्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत 384.77 Lacs (Work cost – 322.85 Lacs and GST & Labour Cess cost – 61.92 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय लखनऊ के कार्यालय परिसर में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० कार्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत 384.77 Lacs (Work cost – 322.85 Lacs and GST & Labour Cess cost – 61.92 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ।
05.07	मुख्यालय स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये भवन के नवीकरण के पुनरीक्षित डी.पी. आर. की अनुमानित लागत रु० 497.92 Lacs (work cost of Rs. 417.79 Lacs and GST & Labour Cess cost Rs. 80.13 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	मुख्यालय स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये भवन के नवीकरण के पुनरीक्षित डी.पी. आर. की अनुमानित लागत रु० 497.92 Lacs (work cost of Rs. 417.79 Lacs and GST & Labour Cess cost Rs. 80.13 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
05.08	मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में पैरवी करने, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित प्रकरणों में आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण करने तथा विधिक प्रकरणों में विधिक राय प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के विभागीय अधिवक्ता पैनल में श्री विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता को आबद्ध किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में पैरवी करने, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित प्रकरणों में आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण करने तथा विधिक प्रकरणों में विधिक राय प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के विभागीय अधिवक्ता पैनल में श्री विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 934/विधि/006/2023 दिनांक 04.12.2023 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

[Signature]
26/11/24

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
05.09	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत योजित आर्बीट्रेशन वाद हेतु अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत योजित आर्बीट्रेशन वाद हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 05/विधि/ 006/आर्बी-005/2024, दिनांक 03.01.2024 द्वारा अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
05.10	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री आर०एस० शुक्ला, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री आर०एस० शुक्ला, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.11	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जौनपुर सीवरेज योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के कम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित सेवानिवृत्त लोककार्मिक श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जौनपुर सीवरेज योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के कम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित सेवानिवृत्त लोककार्मिक श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.12	कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद में वॉटर सर्विस कनेक्शन संबंधी कार्यों में अनियमितता की जांच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त श्री केशव गुप्ता, तत्कालीन महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, श्री के०बी० जैन तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री रविन्द्र सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद में वॉटर सर्विस कनेक्शन संबंधी कार्यों में अनियमितता की जांच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त श्री केशव गुप्ता, तत्कालीन महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, श्री के०बी० जैन तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री रविन्द्र सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.13	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, मथुरा में अग्रिम भुगतान करने, व्ययाधिक्य एवं फण्ड डायवर्जन करने के सम्बन्ध में श्री जगदीश कुमार, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार (कार्यवाहक)/ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, मथुरा में अग्रिम भुगतान करने, व्ययाधिक्य एवं फण्ड डायवर्जन करने के सम्बन्ध में श्री जगदीश कुमार, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार (कार्यवाहक)/ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय

26/12/24

90

2

27

18

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.14	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जौनपुर सीवरेज योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के कम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित सेवानिवृत्त लोककार्मिक श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जौनपुर सीवरेज योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के कम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित सेवानिवृत्त लोककार्मिक श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत मा० निदेशक मण्डल द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.15	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्रावस्ती में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान श्री रवीन्द्र बहादुर श्रीवास्तव द्वारा दायित्वों का अनुपालन न करने, ए०एस०आई० से बिना अनुमति प्राप्त किये स्मारक के पास प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के कारण रु० 66.90 लाख का व्यय निष्फल होने के सम्बन्ध में संस्थित जांच प्रकरण को सी०एस०आर० के नियम-351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने की मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्रावस्ती में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान श्री रवीन्द्र बहादुर श्रीवास्तव द्वारा दायित्वों का अनुपालन न करने, ए०एस०आई० से बिना अनुमति प्राप्त किये स्मारक के पास प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के कारण रु० 66.90 लाख का व्यय निष्फल होने के सम्बन्ध में संस्थित जांच प्रकरण को सी०एस०आर० के नियम-351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने की मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.16	जनपद-मीरजापुर की निर्माणाधीन 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर धनराशि व्ययवर्तित करने के सम्बन्ध में, श्री उदयनाथ सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद-मीरजापुर की निर्माणाधीन 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर धनराशि व्ययवर्तित करने के सम्बन्ध में, श्री उदयनाथ सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
05.17	जनपद-मीरजापुर की निर्माणाधीन 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर धनराशि व्ययवर्तित करने के सम्बन्ध में, श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद-मीरजापुर की निर्माणाधीन 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर धनराशि व्ययवर्तित करने के सम्बन्ध में, श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।

26/4/24

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
05.18	जनपद-आगरा में रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में विभिन्न सड़कों की रोड कटिंग कर रिस्टेटमेंट न करने एवं योजना में प्रस्तावित एफ0एच0 टी0 सी0 कार्य अनुबन्ध की निर्धारित समयावधि तक पूर्ण न कराने के सम्बन्ध में, श्री आर0के0 शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा0 निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	जनपद-आगरा में रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में विभिन्न सड़कों की रोड कटिंग कर रिस्टेटमेंट न करने एवं योजना में प्रस्तावित एफ0एच0टी0सी0 कार्य अनुबन्ध की निर्धारित समयावधि तक पूर्ण न कराने के सम्बन्ध में, श्री आर0के0 शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी ।
05.19	श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 402/009-2022-002-0015(का0क्षे०) दिनांक 10.04.2023 एवं ज्ञाप सं० 415/009-2022-002-0126 (का0क्षे०) दिनांक 12.04.2023 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 11.05.2023 के निस्तारण हेतु मा0 निगम निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट ।	श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 402/009-2022-002-0015 (का0क्षे०) दिनांक 10.04.2023 एवं ज्ञाप सं० 415/009-2022-002-0126 (का0क्षे०) दिनांक 12.04.2023 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 11.05.2023 के निस्तारण हेतु सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई । अतः ज्ञाप सं० 402/009-2022-002-0015 (का0क्षे०) दिनांक 10.04.2023 एवं ज्ञाप सं० 415/009-2022-002-0126 (का0क्षे०) दिनांक 12.04.2023 से निर्गत दण्डादेश को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया ।
05.20	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मरू में खण्ड कार्यालय से 10 कर्मचारियों को बॉडीशापिंग के आधार पर कार्यमुक्त न किये जाने के कारण वेतन आदि मद में अनावश्यक व्यय भार विभाग के ऊपर पड़ने, प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक न लेते हुये लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने, विधिक राय/दिशा निर्देश प्राप्त किये बिना ही मनमाने ढंग से कार्यवाही करने, उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने, मा० न्यायालय के समक्ष विभाग को अप्रिय स्थिति में पहुँचाने हेतु श्री मसूद अख्तर किदवई, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध संस्थित जांच प्रकरण को सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने एवं उ०प्र०	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मरू में खण्ड कार्यालय से 10 कर्मचारियों को बॉडीशापिंग के आधार पर कार्यमुक्त न किये जाने के कारण वेतन आदि मद में अनावश्यक व्यय भार विभाग के ऊपर पड़ने, प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक न लेते हुये लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने, विधिक राय/दिशा निर्देश प्राप्त किये बिना ही मनमाने ढंग से कार्यवाही करने, उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने, मा० न्यायालय के समक्ष विभाग को अप्रिय स्थिति में पहुँचाने हेतु श्री मसूद अख्तर किदवई, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध संस्थित जांच प्रकरण को सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल से प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया ।

21/7/24

21/7/24

21/7/24

21/7/24

21/7/24

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी/पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल से प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	
05.21	कार्यालय यूनीसेफ प्रोजेक्ट यूनिट, (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम चित्रकूट में सिंगल राइजर आधारित सोलर ड्यूअल पम्प मिनी पाइप पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु बिना अनुमोदन के निविदा आमंत्रित, बिना शासनादेश /धनावटन के कार्य हेतु अनुबन्ध बनाते हेतु कार्यादेश जारी करने, अनाधिकृत रूप से अनुबन्ध गठित करने के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 472/007-2020-02-0020 (ज्ञा०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.09.2022 के निस्तारण हेतु मा० निगम निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट ।	कार्यालय यूनीसेफ प्रोजेक्ट यूनिट, (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम चित्रकूट में सिंगल राइजर आधारित सोलर ड्यूअल पम्प मिनी पाइप पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु बिना अनुमोदन के निविदा आमंत्रित, बिना शासनादेश /धनावटन के कार्य हेतु अनुबन्ध बनाते हेतु कार्यादेश जारी करने, अनाधिकृत रूप से अनुबन्ध गठित करने के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 472/007-2020-02-0020 (ज्ञा०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.09.2022 के निस्तारण हेतु सुनवाई उपरान्त मा० निगम निदेशक मण्डल द्वारा प्रकरण में पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
05.22	जनपद-भदोही के ग्राम दत्तीपुर में पानी की टंकी का निर्माण एवं ग्राम कनेहरी दत्तीपुर में पाइप लाइन बिछाने में की गई टी०ए०सी० जांच में दोषी श्री राम बिहारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री एम०एल० सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत जांच संस्थित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी/पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल से प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	जनपद-भदोही के ग्राम दत्तीपुर में पानी की टंकी का निर्माण एवं ग्राम कनेहरी दत्तीपुर में पाइप लाइन बिछाने में की गई टी०ए०सी० जांच में दोषी श्री राम बिहारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री एम०एल० सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत जांच संस्थित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली- 1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी/ पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी ।
05.23	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, प्रयागराज में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-बी में पुनरीक्षित ए०ए० एण्ड ई०एस० के सापेक्ष कराये गये कार्यों के प्रकरण में त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध व विचलन प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, प्रयागराज में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-बी में पुनरीक्षित ए०ए० एण्ड ई०एस० के सापेक्ष कराये गये कार्यों के प्रकरण में त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध व विचलन प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय अनियमितता से सम्बन्धित जांच में चिन्हित उ०प्र०

21/26/24

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	अनियमितता से सम्बन्धित जांच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के श्री ए०के० पुरवार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत जांच संस्थित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली- 1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/ पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी ।	
05.24	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, प्रयागराज में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-बी में पुनरीक्षित ए०ए० एण्ड ई०एस० के सापेक्ष कराये गये कार्यों के प्रकरण में त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध व विचलन प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय अनियमितता से सम्बन्धित जांच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के श्री घनश्याम द्विवेदी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत जांच संस्थित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली- 1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/ पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल से प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, प्रयागराज में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-बी में पुनरीक्षित ए०ए० एण्ड ई०एस० के सापेक्ष कराये गये कार्यों के प्रकरण में त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध व विचलन प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय अनियमितता से सम्बन्धित जांच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के श्री घनश्याम द्विवेदी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम- 351(ए) के अन्तर्गत जांच संस्थित किये जाने एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/ पेंशन से वसूली की स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी ।
05.25	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु प्रतिनियुक्ति के सृजित पदों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने विषयक नीति निर्धारित कर निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 17.11.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक 1069/प्र-1 / 007/नि०म०बैठक-004/2023 दिनांक 30. 11.2023 द्वारा की गयी संस्तुति को मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट ।	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु प्रतिनियुक्ति के सृजित पदों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने विषयक नीति निर्धारित कर निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 17.11. 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक 1069/प्र-1/007/नि०म० बैठक-004 /2023 दिनांक 30.11.2023 द्वारा की गयी संस्तुति पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
05.26	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के गठन के उपरान्त जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा० न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के गठन के उपरान्त जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा० न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु राजस्व मद से जी०पी०एफ०

26/12/24

2

2

2

2

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	राजस्व मद से जी०पी०एफ० मद में अन्तरित की गयी धनराशि रु. 25.00 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	मद में अन्तरित की गयी धनराशि रु. 25.00 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी तथा उ०प्र०जल निगम(नगरीय) से जी०पी०एफ० मद में अन्तरित किये जाने हेतु धनराशि के सम्बन्ध में पत्राचार कर प्रगति से अगली बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
05.27	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के गठन के उपरान्त जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा० न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु राजस्व मद से जी०पी०एफ० मद में धनराशि रु. 25.00 करोड़ अन्तरित किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के गठन के उपरान्त जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा० न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु राजस्व मद से जी०पी०एफ० मद में धनराशि रु. 25.00 करोड़ अन्तरित किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
05.28	श्री अमरेश्वर मिश्रा, सेवानिवृत्त नि०कर्म०फी० (वर्क मुन्शी) की कोविड-19 के चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	श्री अमरेश्वर मिश्रा, सेवानिवृत्त नि०कर्म०फी० (वर्क मुन्शी) की कोविड-19 के चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
05.29	अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से	
05.29.01	अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर कमेटी गठित करने तथा अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर परीक्षण करने के उपरान्त आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
05.29.02	श्री अरविन्द नाथ, सेवानिवृत्त प्रबन्ध निदेशक की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	श्री अरविन्द नाथ, सेवानिवृत्त प्रबन्ध निदेशक की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा सरकारी नियम के अनुसार देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
05.29.03	दिनांक 01.03.2024 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त महगाई भत्ता देते हुये 200 प्रतिशत महगाई भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	दिनांक 01.03.2024 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त महगाई भत्ता देते हुये 200 प्रतिशत महगाई भत्ता दिये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

26/11/24

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
05.29.04	दिनांक 01.03.2024 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त महगाई राहत देते हुये 200 प्रतिशत महगाई राहत दिये जाने का प्रस्ताव मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट ।	दिनांक 01.03.2024 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त महगाई राहत देते हुये 200 प्रतिशत महगाई राहत दिये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
05.29.05	सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित जॉच में उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/पेंशन से वसूली का भी प्राविधान सम्मिलित करने की स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट ।	सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम-351(ए) के अन्तर्गत संस्थित जॉच में उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/ पेंशन से वसूली का भी प्राविधान सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।


 (राज कुमार शर्मा)
 सचिव(प्रशासन)


 (शहजाद अहमद अंसारी)
 वित्त निदेशक


 (बृजराज सिंह)
 संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण)


 (राजेश कुमार प्रजापति)
 संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)


 (डा० बलकार सिंह)
 प्रबन्ध निदेशक


 (अनुराग श्रीवास्तव)
 अध्यक्ष